जैसे स्टेनोग्राफर ग्रेड–3, सहायक ग्रेड–तीन । अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे एक से अधिक पद हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वे एक ही तिथि में पृथक–पृथक आवेदन प्रस्तुत करें। एक आवेदन पत्र में एक से अधिक पद का नाम लिखे जाने पर आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा। एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन रखे जाने पर भी आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।

(4) आवेदन पत्र में स्वतः का नाम लिखा हुआ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित रंगीन फोटोग्राफ चस्पा होना चाहिये तथा पहचान के रूप में आधार कार्ड/वोटर कार्ड/ड्राईविंग लायसेंस/पेन कार्ड आदि की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा ।

(5) बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त माना जावेगा।

(6) आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी अत्यंत सावधानी पूर्वक सही एवं पूर्ण रूप से भरें। आवेदन पत्र में त्रुटि तथा किसी भी प्रकार की अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर आवेदन निरस्त किया जा सकेगा।

नियुक्ति हेतु चयन प्रकिया

हिन्दी स्टेनोग्राफर ग्रेड–3 एवं सहायक ग्रेड–3 के आवेदित पदों के लिये दो चरणों में परीक्षा आयोजित की जावेगी। वर्गवार आवेदित पद की संख्या के 15 गुणा अभ्यार्थियों को लिखित परीक्षा हेतु आवेदित पद के न्यूनतम भौक्षणिक योग्यता (स्नातक) में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर अंनतिम पात्र सूची तैयार की जाकर उक्त सूची जिला न्यायालय रायपुर की वेबसाईट पर जारी की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा अपात्रता के संबंध में उक्त सूची प्रकाशन से सात दिवस के अंदर जिला न्यायालय कार्यालय में चयन समिति को संबोधित करते हुए आपत्ति प्रस्तुत की जा सकेगी। निर्धारित तिथि के पश्चात प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा। दावा आपत्ति निराकरण उपरांत परीक्षा हेतु पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की अंतिम सूची जिला न्यायालय रायपुर की वेबसाईट पर अपलोड की जावेगी।

प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगी जिसमें 50 वस्तुनिष्ट प्रश्न होंगे, उक्त प्रश्न सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान, समसामयिक एवं कम्पयूटर आदि विषयों से संबंधित होंगे। उक्त लिखित परीक्षा की अवधि कुल 01 घंटे की होगी तथा प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित होगा, जिसमें कोई ऋणात्मक मुल्यांकन (Negative mark) नहीं होगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी, किन्तु लिखित परीक्षा में अर्जित अंक अंतिम चयन हेतु आयोजित कौशल परीक्षा के अंक में नही जोडे जायेंगे।

टीप :– <u>यदि एक ही अथ्यर्थी द्वारा हिन्दी स्टेनोग्राफर ग्रेड–3 एवं सहायक ग्रेड–3 के पद हेतु पृथक–पृथक आवेदन प्रस्तुत किया गया हो, तो एक ही प्रथम चरण की लिखित परीक्षा आयोजित किए जाने के कारण उक्त अभ्यार्थी द्वारा उक्त प्रथम चरण की लिखित परीक्षा में अर्जित किए गए, अंक आवेदित सभी पद हेतु विचार में लिए जायेगें।</u>

प्रथम चरण की लिखित परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जायेगी तथा (मेरिट) 01 पद के विरूद्ध 10 गुना अथवा समिति द्वारा नियत अनुपात में वर्गवार मेरिट सूची का प्रकाशन जिला न्यायालय के वेबसाईट https://raipur.dcourts.gov.in पर अपलोड किया जावेगा।

लिखित/कौशल परीक्षा हेतु बुलावा/सूचना पत्र/प्रवे I पत्र कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय रायपुर की बेबसाइट मे अपलोड किये जावेंगे।

कौशल परीक्षा

कौशल परीक्षा के पूर्व या पश्चात दस्तावेज परीक्षण/जांच किया जावेगा। कौशल परीक्षा की तिथि, समय, स्थान एवं निर्देशों की सूचना कार्यालय वेबसाईट https://raipur.dcourts.gov.in पर अपलोड

किया जावेगा। कौशल परीक्षा हेतु सूचना/प्रवेश पत्र/बुलावा पत्र पृथक से नही भेजा जावेगा तथा इस संबंध में कोई पत्राचार ग्राह्य नही होगा।

1. **<u>हिन्दी स्टेनोग्राफर ग्रेड–3</u>**

(अ) **कौशल परीक्षा–**

उम्मीदवारों से 100 शब्द प्रतिमिनिट की गति से 5 मिनट का हिन्दी श्रुतलेख दिया जायेगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 30 मिनट की सीमा में शुद्धता से कम्प्यूटर में टाईप करना होगा। डिक्टेशन/श्रुतलेख की प्रत्येक शब्द की त्रुटि के लिये 1/5 अंक काटा जायेगा । कौशल परीक्षा 100 अंक की होगी। कौशल परीक्षा **उबन्टु लीनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूनिकोड टाइपिंग में आयोजित की जावेगी।** आशुलिपि नोटबुक एवं लिप्यांतरण प्रति, दोनों का मूल्यांकन किया जावेगा ।

2. <u>सहायक ग्रेड– तीन</u>

(अ) **कौशल परीक्षा–**

उम्मीदवारों को लगभग 250 शब्द की हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 10 मिनट की सीमा में शुद्धता से कम्प्यूटर में टाईप करना होगा। प्रत्येक शब्द की त्रुटि के लिये 1/5 अंक काटा जायेगा, जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिये भी होगा। कौशल परीक्षा 100 अंक की होगी। कौशल परीक्षा **उबन्टु लीनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूनिकोड टाइपिंग में आयोजित की जावेगी।** हिंदी कंप्यूटर टाईपिंग में 5000 डिप्रेशन की गति होना चाहिए (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जावेगी)

<u>चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची</u>

1. कौशल परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर ही मेरिट सूची तैयार की जावेगी, जिसमें से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची तैयार की जावेगी।
2. कौशल परीक्षा में समान अंकों की दशा में जन्मतिथि के आधार पर वरिष्ठ अभ्यर्थी को चयनित किया जावेगा।
3. प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित होने की तिथि से एक वर्ष तक प्रभावशील रहेगी। चयनित अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण नही करने पर प्रतीक्षा सूची से पदों की पूर्ति की जा सकेगी।
4. चयनित उम्मीदवारों को मेडिकल बोर्ड, रायपुर से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा आरक्षित वर्ग में चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति के पश्चात कार्यभार ग्रहण करते समय राज्य शासन के ज्ञापन दिनांक 29.06.2013 में दिये गये प्रारूप के अनुसार जाति के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनका चयन/नियुक्ति निरस्त किया जावेगा। आवश्यकता अनुसार जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान छ0ग0 रायपुर से कराया जावेगा। प्रमाण पत्रों की जाँच में विपरीत टिप्पणी प्राप्त होने पर सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी।

–: <u>महत्वपूर्ण निर्देश</u> :–

1. सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर का पत्र कमांक 1269/23/मु.म.नि./2014/1–7, दिनांक 23.08. 2014 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता दी जावेगी।
2. चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. चयनित उम्मीदवार को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने के बाद ही सेवा में लिया जावेगा।
4. चयनित उम्मीदवारों को जिन्हें, नियुक्ति आदेश जारी किये गये हों, कार्यभार ग्रहण किये जाने के पश्चात् उनका पुलिस विभाग व्दारा सत्यापन नियमानुसार कराया जायेगा, आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाये जाने की दशा में नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।